भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3653

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

कंपनियों की परिसंपत्तियों से ऋण का समायोजन

3653. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकरों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन ग्राहकों की किसी भी संपत्ति से देनदारियों की वसूली के लिए ऋण सेट-ऑफ (समायोजन) अधिकार का प्रयोग किया गया है, भले ही वे किसी विशिष्ट ग्रहणाधिकार, गिरवी, बंधक आदि के अधीन न हों;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी व्यक्ति या परिवार के समूह की कंपनियों की संपत्ति से ऋणों को सेट-ऑफ (समायोजन) करने के लिए कोई कानून है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार**,** बैंकर के समायोजन संबंधी अधिकार का प्रयोग आम तौर पर बैंक और उधारकर्ता/गारंटीकर्ता के बीच किए गए संविदात्मक व्यवस्था के आधार पर किया जाता है**,** जिसमें बैंक उधारकर्ता/गारंटीकर्ता के खिलाफ समायोजन के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार है।

इसके अलावा**,** किसी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के लिए बैंक के पक्ष में कंपनी के प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा दी गई गारंटी के मामले में**,** बैंक को गारंटीकर्ता की परिसंपत्तियों से बकाया राशि वसूलने/समायोजित करने का अधिकार है।

किसी व्यक्ति अथवा परिवार के समूह की कंपनियों की परिसंपत्तियों से ऋण को समायोजित करने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है**,** क्योंकि अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के बीच ऋण को एक-दूसरे के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, ऋणदाताओं द्वारा ऋण का भुगतान प्राप्त करने अथवा ऋण की वसूली होने पर सभी प्रतिभूतियों को जारी किया जाना चाहिए जो कि ऋणदाताओं के उधारकर्ताओं के विरूद्ध किसी भी अन्य दावे के किसी वैधानिक अधिकार या ग्रहणाधिकार के अध्यधीन है।

*****